पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या –273 / 2024

वान :

1. गुरप्यारसिह पुत्र निहाल सिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. हरभजनसिह पुत्र निहाल सिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. बलदेव कौर पत्नी निहाल सिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अमरजीत कौर पुत्री निहाल सिह पत्नी दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सिमरजीत कौर पुत्री निहाल सिह पत्नी प्रकाश सिह जाति जटसिख निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. परमजीत कौर पुत्री निहाल सिह पत्नी हरबंस सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिह तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. गुरदतसिह पुत्र नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. जगमेलसिह पुत्र नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. चरणजीत कौर पत्नी नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :–वादीगण

2 अधिवक्ता करनैलसिह :–प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 28/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की

सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि निहाल सिह के नाम से चकनं0 8 डीबीएल के खाता सं0 34/29 में अंकित कुल 7.425 है0 में से 1114/7425 हिस्सा व चकनं0 8 डीबीएल के खाता सं0 66/34 में कुल .039 है0 में प्रतिवादीगण सं0 5 ता 6 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादीयासं0 7 का 1/5 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 8 डीबीएल के खातासं0 66/34 प्रतिवादीगण सं0 5 ता 7 का नाम कलमजन व इसी चक के खातासं0 34/29 में से निहाल सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। ईजराय प्रार्थना पत्र के सलंग्न 500 रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (राजस्व) टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

(सत्यनारायण) R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner